न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 35 / 21

तारीख रजू 05.04.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खण्डार

..........प्रार्थी

बनाम

1. चतर सिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पाली तहसील खण्डार

...........अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 19/1/23

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) खण्डार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1999 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी चतर सिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पाली तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 494 / 133 रकबा 1.00 बीघा वाके ग्राम पाली में आदेश दिनांक 25 / 06 / 1999 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 494 / 133 रकबा 1.00 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत पाली व पटवारी हल्का पाली की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जाकाश्त नहीं होने एवं आवंटन के समय से ही अब तक मौके पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी अप्राथीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 494 / 133 रकबा 1.00 बीघा पर भू.अ.निरीक्षक वृत पाली व पटवारी हल्का पाली की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है एवं आवंटन के समय से ही अब तक मौके पर कब्जा नहीं है तथा मौके पर आवंटन शर्तों का [illegible] गया है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा [illegible] सम्वत 2074–76 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी का आवंटितशुदा भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:01:16 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया है कि पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक पाली ने गलत खसरा गिरदावरी पेश की है उक्त आवंटित भूमि आवंटन दिनांक से हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा हम की उक्त भूमि पर काबिले काश्त है जिसके साक्ष्य सबूत के रूप में नकल गिरदावरी संवत 2060–63, संवत 2068–71 एवं संवत् 2072–75 पेश की गई।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी चतर सिंह पुत्र भैरोसिंह को आराजी खसरा नम्बर 494/133 रकबा 1.00 बीघा वाके ग्राम पाली आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत पाली व पटवारी हल्का पाली की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2021 के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं खसरा गिरदावरी संवत 2074–77 के अनुसार भूमि पड़त है। इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी संवत 2060–63 के अनुसार सरसों, संवत 2068–71 के अनुसार 2068 में सरसों, 2069 में गेहूं, 2070 एवं 2071 में भूमि पडत है एवं संवत् 2072–75 के अनुसार सवंत् 2072 से 2074 में भूमि पडत तथा संवत 2075 में उडद एवं सरसों की फसल काश्त है। इस प्रकार तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2074–77 के अनुसार 2074 से 2076 तक पडत है, जिसके आधार अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होना बताया है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी सवंत 2072–75 में संवत 2075 में उडद एवं सरसों की फसल काश्त है। इस प्रकार एक ही संवत् की खसरा गिरदावरी में एक तरफ पडत तथा दूसरी तरफ उडद एवं सरसों की फसल काश्त होना रिपोर्ट में संदेह उत्पन्न करता है।

अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण की पुनः जांच करें तथा जांच में आवंटी का कब्जा साबित नहीं होने पर नये सिरे से प्रकरण तैयार कर पुनः इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 19/1/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:01:16 IST
Reason: SelfAttested